भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : 441*

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

वाणिज्यिक कोयला खनन

***441. श्री सय्यद ईमत्याज जलीलः**
श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र के लिये वाणिज्यिक कोयला खनन को खोल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब से खोला गया है;

(ग) क्या वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) विश्व का सबसे बड़ा खननकर्ता है जिसे कोयले की बिक्री अंतिम प्रयोक्ताओं को करने की अनुमति दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सीआईएल अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाया है जिसके कारण वाणिज्यिक कोयला खनन की अनुमति निजी क्षेत्र को दी गई है/इसे निजी क्षेत्र के लिये खोला गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं कि कोयला खानों को निजी क्षेत्र के लिये खोला जाना पारदर्शी हो?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ड.) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

वाणिज्यिक कोयला खनन के संबंध में श्री सय्यद ईमत्याज जलील और श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा दिनांक 24.07.2019 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 441 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) तथा (ख) : जी, हां। कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों/बलॉकों की नीलामी हेतु नीति 27.02.2018 को जारी की गई थी। नीति का उद्देश्य बहु-उत्पादकों के साथ कोयले के लिए बाजार का सृजन करना है ताकि खनन और पर्यावरण प्रबंधन में प्रतिस्पर्द्धा हो सके एवं उत्कृष्ट पद्धति अपनाई जा सके। कोयले की बिक्री के लिए पारदर्शी तरीके से कोयला खानों की नीलामी होने से बाजार ताकतों के आधार पर पारदर्शी तरीके से कोयले के मूल्य निर्धारण को बढ़ावा मिलने तथा समग्र घरेलू उत्पादन में वृद्धि होने की भी संभावना है। इस नीलामी में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) भी भाग लेने के लिए पात्र हैं। केन्द्रीय एवं राज्य पीएसयू को कोयले की बिक्री हेतु कोयला ब्लॉक पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। इसके अलावा कोयला ब्लॉक के आवंटितियों को कोल इंडिया लिमिटेड को अतिरिक्त कोयला बेचने की अनुमति दी गई है तथा अब कोयला खानों के आवंटितियों को विशिष्ट अंत्य उपयोग अथवा स्वयं की खपत के लिए खुले बाजार में वास्तविक उत्पादन का 25% तक बिक्री करने की अनुमति देते हुए एक कार्य पद्धति जारी की गई है।

(ग) तथा (घ) : कोयला उत्पादन के मामले में कोल इंडिया लिमिटेड विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। सीआईएल द्विपक्षीय ईंधन आपूर्ति करारों तथा समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अपने से संबद्ध विद्युत तथा गैर-विद्युत उपभोक्ताओं को कोयले की बिक्री करती है। सीआई एल विभिन्न ई-नीलामी स्कीमों के माध्यम से व्यापारियों सहित अंत्य उपभोक्ताओं को भी कोयले की बिक्री करती है। पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के लिए सीआईएल से विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमानित घरेलू कोयले की मांग तथा सीआईएल स्रोतों से विद्युत क्षेत्र को कोयले की वास्तविक आपूर्ति संबंधी ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन में)

2017-18		**2018-19**		**2019-20 (30.06.2019 तक)**	
मांग	**आपूर्ति**	**मांग**	**आपूर्ति**	**मांग**	**आपूर्ति**
478.00	454.22	525.00	491.25	132.50	119.62

पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के लिए सीआईएल स्रोतों से गैर-विद्युत क्षेत्र को कोयला आपूर्ति संबंधी ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन में)

2017-18	**2018-19**	**2019-20 (30.06.2019 तक)**
126.07	116.89	33.67

(ड.) : कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 [सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015] तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 [एमएम (डीआर) अधिनियम, 1957], के प्रावधानों के अनुसार निजी क्षेत्र की कंपनियों को कोयला खानों का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जाता है। सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत कोयला खानों की नीलामी ई-प्लेटफार्म की सुरक्षा ऑडिट कराने के पश्चात् ई-प्लेटफार्म से की गई है। इसके अलावा कोई भी पूर्व आवंटिती जिसे कोयला ब्लॉक आवंटन के संबंध में दोषी पाया गया है तथा तीन वर्ष तक की कैद की सजा दी गई हो, सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत नीलामी में भाग लेने का पात्र नहीं है।

*****